हिन्दी–सारांश

ईडा सोपस्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट

ग्रामः–ईडा, तहसील–बागेश्वर,
जनपदः–बागेश्वर, उत्तराखण्ड
परियोजना क्षेत्रफलः–8.394 हेक्टेयर,
परियोजना प्रस्तावित क्षमताः–33,004 टीपीए अधिकतम

परियोजना प्रस्तावक
मै0 ओकार मिनरल्स ईडा बागेश्वर
तहसील–बागेश्वर, जनपदः–बागेश्वर, उत्तराखण्ड

परियोजना सलाहकार

ईको पर्यावरण लैबोरेटरीज एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड,
प्रमाणपत्र संख्या NABET/EIA/2223/SA0183, 17 दिसंबर, 2023 तक वैध
ई 207, फेज़ VIII बी, सेक्टर 74, औद्योगिक क्षेत्र, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब 160071
आरक्यूपी और सूचीबद्ध सलाहकार
भुवन जोशी (ईआईए समन्वयक-नेबेट क्यूसीआई)
सूचीबद्ध भूविज्ञानी, आरक्यूपी-आईबीएम, यूके, एचपी,देहरादून
संपर्क करें: 9412152105, 7533858409

ईडा सोपस्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट–एक परिचय

1.0 परिचयः–

1.1 रिपोर्ट का उदेश्य :–ईडा सोपस्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट ई0आई0ए0 अधिसूचना के संख्या 2006, 2009, 2011, 2012 तथा 2016 के अनुसार मुख्यतः बी 1 श्रेणी के प्रोजेक्ट है, माननीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में प्रोजेक्ट बी 1 श्रेणी में एस0ई0आई0ए0ए उत्तराखण्ड (सिया उत्तराखण्ड) द्वारा टी0ओ0आर0 **(ToR)** दिनांक 29 सितम्बर 2023 को जारी किया गया है।

1.2 परियोजना की पहचानः– उत्तराखण्ड राज्य के ग्राम–ईडा, जनपद व तहसील–बागेश्वर के अंतर्गत आता है, उपरोक्त ग्राम में अवस्थित, 8.394 है0 भूमि में मै0 ओंकार मिनरल्स ईडा बागेश्वर, तहसील–बागेश्वर, जनपद–बागेश्वर के पक्ष में उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय पत्र संख्या **1100/VII-A-1/2021/01(15)/2021,** दिनांक **19-08-2021** द्वारा सोपस्टोन हेतु 50 वर्ष का आशय पत्र स्वीकृत किया गया है।

ई0आई0ए0 प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषतांए

क्र0सं0	तकनीकी मूल्यांकन	विवरण
1.	आवेदक/पट्टाधारक का नाम व पता	मै0 ओंकार मिनरल्स ईडा बागेश्वर, तहसील–बागेश्वर, जनपद–बागेश्वर ,उत्तराखण्ड
2.	आवेदित/स्वीकृत स्थल का विवरण	ग्राम–ईडा, तहसील–बागेश्वर, जिला–बागेश्वर, राज्य–उत्तराखण्ड
3.	आर0क्यू0पी0 जिसके द्वारा खनन योजना तैयार की गयी है का नाम एंव पंजीकरण का विवरण	आर0क्यू0पी0 का नाम – भुवन जोशी एंव पंजीकरण संख्याः मु0ख0/RQP/DDN/01/2016 वैधता 28–12–2020 से 27–12–2025
4.	अवधि जिस हेतु खनन योजना प्रस्तावित की गयी है।	प्रथम पॉच वर्षों हेतु
5.	भूविज्ञान और खनिज रिर्जव (**Geology and Reserve**)	
	1. (Physiography) प्राकृतिक भूगोल	प्राकृतिक भूगोल का विवरण अनुमोदित माईनिग प्लान के अध्याय संख्या 5 में दिया गया है।
	2. भूविज्ञान (Geology) सतही भूविज्ञान मानचित्र 1:2000/1:1000 के पैमाने पर सतही भूविज्ञान मानचित्र सम्मोच्च अंतराल के साथ निम्न विवरण का परीक्षण कर टिप्पणीः–	भूविज्ञान का विवरण अनुमोदित माईनिग प्लान के अध्याय संख्या 5 मे दिया गया है।
	3. पूर्व में किये गये खनिज अन्वेषण का विवरणः	इसका विवरण अनुमोदित माईनिग प्लान के अध्याय संख्या 5 मे दिया गया है।

	4. Details of Reserve and Calculatiors का निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत परीक्षण कर बिन्दुवार टिप्पणी	इसका विवरण अनुमोदित माईनिग प्लान के अध्याय संख्या 5 मे दिया गया है।
	5. विगत अवधि के उल्लंघनों पर की गयी कार्यवाही का परीक्षण टिप्पणी	प्रथम खनन योजना प्रस्ताव
6.	खनन विधा के नामित खनन अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत ड्राप्ट खनन योजना, ड्राप्ट स्कीम आफ माईनिंग, ड्राप्ट संशोधित स्कीम आफ माईनिंग ड्राप्ट प्रगतिशील खान बन्द करने की योजना, ड्राप्ट अंतिम खान बन्द करने की योजना, की निम्न बिन्दुओं पर टिप्पणी	
	1. खनन क्षेत्र में प्रतिबन्धित क्षेत्रों यथा आवासीय मकान, सडक, पहुच मार्ग, खच्चर मार्ग, विद्युत लाईन धार्मिक स्थल आदि के कारण खनन न किये जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख करते हुये Blocked Mineral Resource Reserve का विस्तृत विवरण	खनन क्षेत्र में प्रतिबन्धित क्षेत्रों यथा आवासीय मकान, सडक, पहुँच मार्ग, खच्चर मार्ग, विद्युत लाईन धार्मिक स्थल आदि इस प्रकार का कोई प्रतिबन्धित क्षेत्र नहीं है।
	2. खनन की बैन्च की ऊचाई, चौडाई, खसरा विवरण, मालिक के नाम के साथ खसरा मानचित्र पर प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्ष का विवरण पृथक–पृथक रंगों से मानचित्र पर दर्शाते हुए	खनन की बैन्च की ऊँचाई 3 m व चौड़ाई 5m है, व पट्टाधारक का नाम मै0 ओंकार मिनरल्स ईडा बागेश्वर, तहसील–बागेश्वर, जनपद–बागेश्वर,उत्तराखण्ड, परियोजना स्थल–ईडा, जनपद–बागेश्वर की तहसील– बागेश्वर, एंव खसरा मानचित्र पर अनुवर्ती वर्ष का विवरण पृथक–पृथक रंगों से प्लेट संख्या 5 से प्लेट संख्या 11 तक मानचित्र पर दर्शाया है।
	3. विगत पाँच वर्षो का उत्पादन एवं लक्ष्य का परीक्षण	प्रथम पाँच वर्षो का उत्पादन एवं लक्ष्य का परीक्षण वर्ष | कुल उत्पादन सोपस्टोन (टन) प्रथम वर्ष | 12,295 द्वितिय वर्ष | 16,827 तृतीय वर्ष | 23,154 चतुर्थ वर्ष | 28,191 पंचम वर्ष | 33,004 कुल | **1,13,471** इसका विवरण अनुमोदित माईनिग प्लान के अध्याय संख्या 6 मे दिया गया है।

<table>
<tr><td></td><td>4. खनन कार्य में प्रयुक्त होने वाले प्रबंधकीय, पर्यावरण एवं श्रमिकों को खनिज एवं over burden हेतु पृथक–पृथक विवरण</td><td>रोजगार विवरण
<table>
<tr><th>क्र0 स0.</th><th>वर्ग</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>भूवैज्ञानिक पूर्व कालिक</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अल्पकालिक मेडिकल आफिसर</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अंशकालिक पर्यावरण सलाहकार</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>खनन अभियन्ता</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>पर्यवेक्षक कार्यकर्ता</td><td>3</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>अकुशल</td><td>45</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>50</td></tr>
</table>
इसका विवरण अनुमोदित माईनिग प्लान के अध्याय संख्या 6 मे दिया गया है।</td></tr>
<tr><td></td><td>5. Mine Drainge का परीक्षण</td><td>क्षेत्र के भीतर कोई मौसमी या बारहमासी जल निकासी मौजूद नही है।</td></tr>
<tr><td></td><td>6. खनिज का उपयोग का परीक्षण</td><td>क्षेत्र के सोपस्टोन का उपयोग सिरेमिक पेपर और डिटर्जेंट उद्योगों के लिए किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td></td><td>7 खनिज प्रसंस्करण का परीक्षण</td><td>गड्ढे के शीर्ष पर केवल ड्रेसिंग ब्रेकिंग और शॉर्टिंग की जाएगी और क्षेत्र के भीतर खनिज प्रसंस्करण का कोई अन्य साधन नहीं किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">ड्राप्ट प्रगतिशील खान बन्द करने की योजना (PMCP)/ड्राप्ट अन्तिम खान बन्द करने की योजना (FMCP) के परीक्षण बिन्दु</td></tr>
<tr><td></td><td>1. (क) बन्द होने का कारण</td><td>इसका विवरण अनुमोदित माईनिग प्लान के अध्याय संख्या 8 मे दिया गया है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) वैधानिक दायित्व</td><td>उत्तराखण्ड गौण खनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रावधानों के अनुसार</td></tr>
<tr><td></td><td>(ग) बंद करने की योजना तैयार करना</td><td>आवेदक/पट्टाधारक का नाम व पता :–
मै0 ओंकार मिनरल्स ईडा बागेश्वर, तहसील–बागेश्वर,
जनपद–बागेश्वर, उत्तराखण्ड
आर. क्यू. पी. का नाम व पता तथा पंजीकरण संख्या
भुवन जोशी,
आर. क्यू. पी और भूवैज्ञानिक सलाहकार
20- शास्त्रीनगर, लैन नंबर:-3
हरिद्वार रोड, देहरादून-248001
पंजीकरण संख्या :– मु0ख0/RQP/DDN/01/2016
वैधयता :– 27.12.2025</td></tr>
</table>

	2. खान का विवरण i. भूविज्ञान ii. भण्डार iii. खनन विधि iv. खनिज लाभ	इसका विवरण अनुमोदित माईनिग प्लान के अध्याय संख्या 6 मे दिया गया है।
	3. खान और जनशाक्ति रिट्रेंचमेण्ट को बंद करने के आर्थिक नतीजे	यह प्रगतिशील बंद करने की योजना है और इसलिए जनशक्ति की छँटनी प्रस्तावित नहीं है और खदान बंद करने का प्रस्ताव नहीं है।
	4. परित्याग लागत	इसका विवरण अनुमोदित माईनिग प्लान के अध्याय संख्या 8 मे दिया गया है।
	5. वित्तीय अश्वासन	इसका विवरण अनुमोदित माईनिग प्लान के अध्याय संख्या 8 मे दिया गया है।
	6. क्षेत्र का खसरा मानचित्र पर निम्नानुसार चिन्हित सूचना का परीक्षण i. प्रस्तावित खनन क्षेत्र के समस्त Surface features ii. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की 500 मी0 की परिधि के समस्त खनन क्षेत्रों एवं अन्य समस्तSurface features	इसका विवरण स्वीकृत खनन योंजना के खसरा मनचित्र मे दिया गया है। इसका विवरण स्वीकृत खनन योंजना के खसरा मनचित्र मे दिया गया है।
8.	वृक्षारोपण/चैक डेम एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजनाके परीक्षण विन्दु	
	1. डपरी मिटटी का भण्डारण एवं संरक्षण	इसका विवरण अनुमोदित माईनिग प्लान के अध्याय संख्या 6 मे दिया गया है।
	2. धुल दमन के लिये उपाय	धूल को दबाने के लिए महीनों की शुष्क अवधि के दौरान हॉल रोड पर पानी का छिड़काव किया जाएगा
	3. खनन गतिविधियों से प्रभावित भूमि के सुधार के लिए प्रस्ताव	धूल को दबाने के लिए महीनों की शुष्क अवधि के दौरान हॉल रोड पर पानी का छिड़काव किया जाएगा
	4. धूल दमन (निवारण) हेतु उपाय	धूल को दबाने के लिए महीनों की शुष्क अवधि के दौरान हॉल रोड पर पानी का छिड़काव किया जाएगा
	5. व्लास्टिग से उत्पन्न तंरगों एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु उपाय	सोपस्टोन खनन में कोई ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग नहीं की जाती है।
	6. टेलिग्ंस डैम	कोई टेलिंग डैम प्रस्तावित नहीं है सोपस्टोन माइन में कोई टेलिंग डैम प्रस्तावित नहीं है।
	7. रोजगार संभावित रोजगार क्षमता	इसका विवरण अनुमोदित माईनिग प्लान के अध्याय संख्या 6 मे दिया गया है।
	8. मौसम के सम्बन्ध में 1. वनस्पति पशुवर्ग 2. जल प्रदेश 3. मानव बस्ती	इसका विवरण अनुमोदित माईनिग प्लान के अध्याय संख्या 7 मे दिया गया है।
9.	टिप्पणी	कोई टिप्पणी नही है।

- अनुमोदित खनन योजना के पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करने पर NGT के निदेशों के क्रम में प्रोजेक्ट को बी 1 श्रेणी में मानते हुए राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधीरण द्वारा ई0आई0ए0 नोटिफिकेसन के अनुसार टोर जारी किया गया है।

➢ उपरोक्त प्रस्तावित खदान का माईनिंग प्लान भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 4136/मु0 खनिज–/18–सोपस्टोन/बागे0/भू0खनि0ई0/2021–22, दिनांक 07.11.2023 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, प्रोजेक्ट के 10 कि0मी0 अंतर्गत कोई भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी तथा कोर जोन नहीं आता है।

➢ प्रस्तावित खदान में बेस लाइन डाटा का कार्य अक्टूबर 2022 से दिसम्बर 2022 में मानसून पूर्व काल में किया गया है।

1.3 खदान में खनन करने की विधिः– माईन में कार्य करने के लिए तीन पिट डिजाइन की गई है, माईन में कार्य सेमी मेकेनाईज्ड पद्वति से किया जायेगा, 3मी0 ऊंची व 3मी0 चौडी बेन्च का निर्माण किया जायेगा ऊपरी सतह में निकाली गई मिट्टी को डंप यार्ड में रखा जायेंगा खदान में विस्फोटको का प्रयोग नहीं किया जायेगा, वृक्षारोपण का कार्य जिला प्रशासन तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से किया जायेगा।

➢ उपरोक्त प्रस्तावित खदान में अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रथम पाँच वर्ष तक कुल **1,13,471** टन अनुमानित मात्रा (प्रस्तावित किया गया है) में उत्पादन किया जाना है, अधिकतम **33,004** टन, उत्पादन का लक्ष्य है। प्रथम पाँच वर्ष का उत्पादन विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

वर्ष	पिट–I	पिट–II	पिट–III	कुल उत्पादन सोपस्टोन **(टन)**
प्रथम वर्ष	3576	1280	7439	12295
द्वितिय वर्ष	4404	4101	8322	16827
तृतीय वर्ष	5686	8821	8647	23154
चतुर्थ वर्ष	5533	7075	15583	28191
पंचम वर्ष	6491	12223	14290	33004
कुल	**25690**	**33500**	**54281**	**113471**

अगले पॉच वर्षो के दौरान गडढे से निकलने वाली उपरी मिटटी, अपशिष्ट चटटान की मात्रा नीचे तालिक में दि गई है।

वर्ष	प्रथम पिट		द्वितिय पिट		तृतीय पिट	
	शीर्ष मिटटी	इंटरबर्डन	शीर्ष मिटटी	इंटरबर्डन	शीर्ष मिटटी	इंटरबर्डन
प्रथम वर्ष	2080	2106	1439	754	3775	4380
द्वितिय वर्ष	1434	2592	1909	2415	2577	4899
तृतीय वर्ष	1758	3348	2751	5193	2901	5091
चतुर्थ वर्ष	1355	3258	1602	4165	3240	9174
पंचम वर्ष	1624	3822	3518	7196	3742	8412
कुल	**8251**	**15126**	**11219**	**19723**	**16235**	**31956**

प्रोजेक्ट संबंधी सुचनायें

1	प्रोजेक्ट का नाम	ईडा सोपस्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट
अ	ग्राम	ईडा
आ	तहसील	बागेश्वर
इ	जनपद	बागेश्वर
ई	लीज एरिया कोर्डिनेट	Latitude: 29°50'43.59"N to 29°50'51.46"N Longitude: 79°51'15.18"E to 79°51'24.91"E
उ	लीज अवधि	50 वर्ष
ऊ	प्रस्तावित मूल्य	45 लाख मात्र
ए	मानव श्रम	50
ऐ	पानी की मांग एवं स्रोत	4.0 के0एल0डी0 पीने तथा धूल हटाने तथा वृक्षारोपण हेतु, पानी के स्रोत प्राकृतिक
2 पर्यावरणीय		
अ	आकार	ऊँचाई अधिकतम 1407.15 मी0 तथा न्यूनमत ऊँचाई 1185.23 मी0
आ	नजदीकी राज्य राजमार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग	बागेश्वर करुली–ढूंगरी चौरा भैरुचौबटटा रोड लगभग 0.15 कि0मी0 हवाई दूरी उत्तर पश्चिम में
इ	नजदीकी रेलवे स्टेशन	काठगोदाम 73.63 कि0मी0 हवाई दूरी दक्षिण पश्चिम में
ई	नजदीकी हवाई अड्डा	पिथौरागढ़ 46.49 कि0मी0 हवाई दूरी दक्षिण पूर्व में
उ	वाईल्ड लाईफ सेन्चुरी	10 कि0मी0 के दायरे में नहीं है।
ऊ	नजदीकी शहर	बागेश्वर 18–20 कि0मी0
ए	नजदीकी नदी	पूंगर नदी लगभग 2.30 कि0मी0 हवाई दूरी दक्षिण पश्चिम में
ऐ	भूकम्पीय जोन	जोन 5

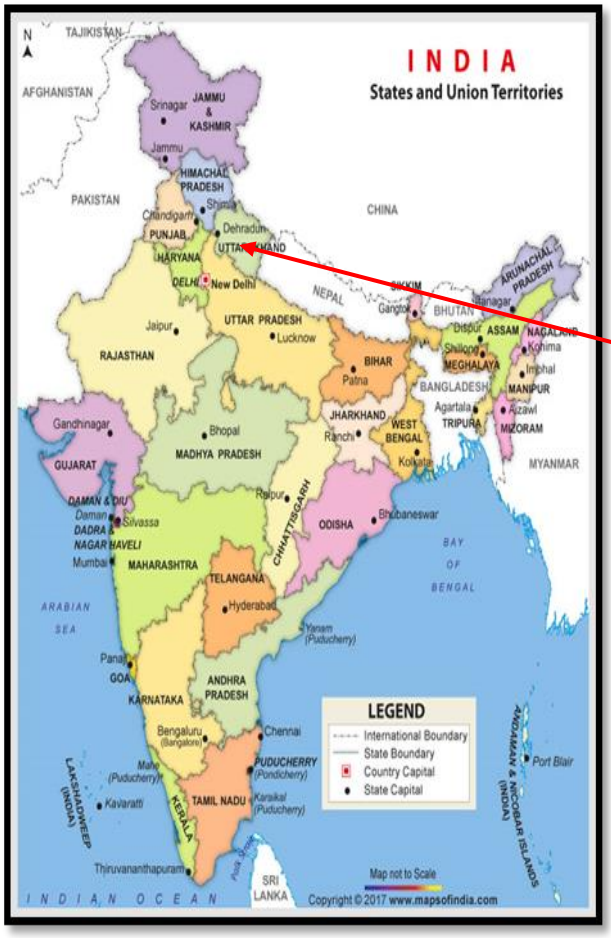
INDIA
States and Union Territories
LEGEND
International Boundary
State Boundary
Country Capital
State Capital
Map not to Scale
Copyright © 2017 www.mapsofindia.com

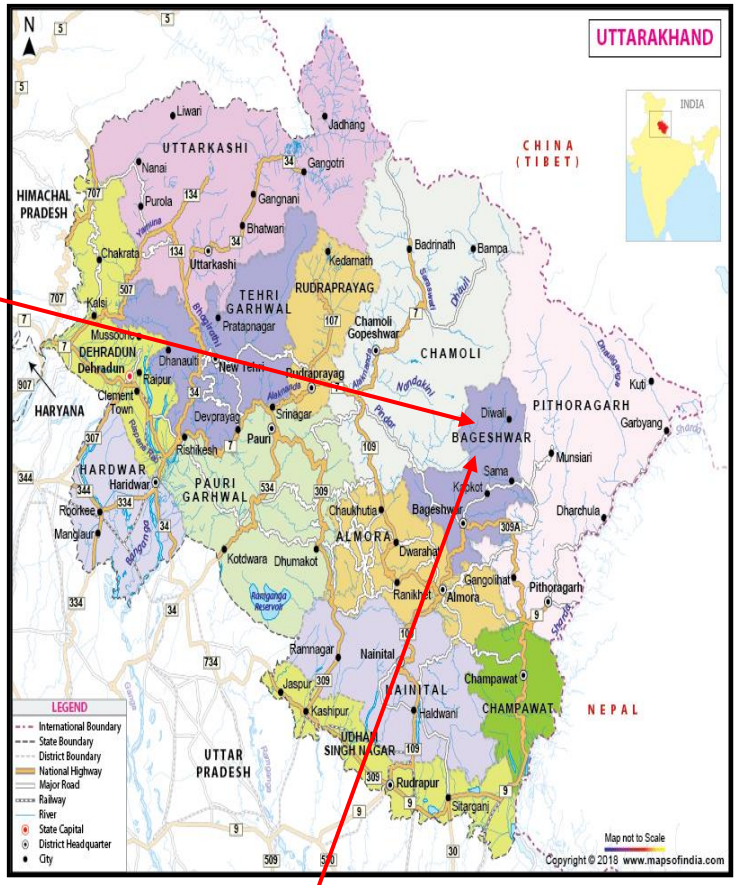
UTTARAKHAND
CHINA (TIBET)
NEPAL
HIMACHAL PRADESH
HARYANA
UTTARKASHI
TEHRI GARHWAL
RUDRAPRAYAG
CHAMOLI
DEHRADUN
HARDWAR
PAURI GARHWAL
PITHORAGARH
BAGESHWAR
ALMORA
NAINITAL
CHAMPAWAT
UDHAM SINGH NAGAR
UTTAR PRADESH
LEGEND
Map not to Scale
Copyright © 2018 www.mapsofindia.com

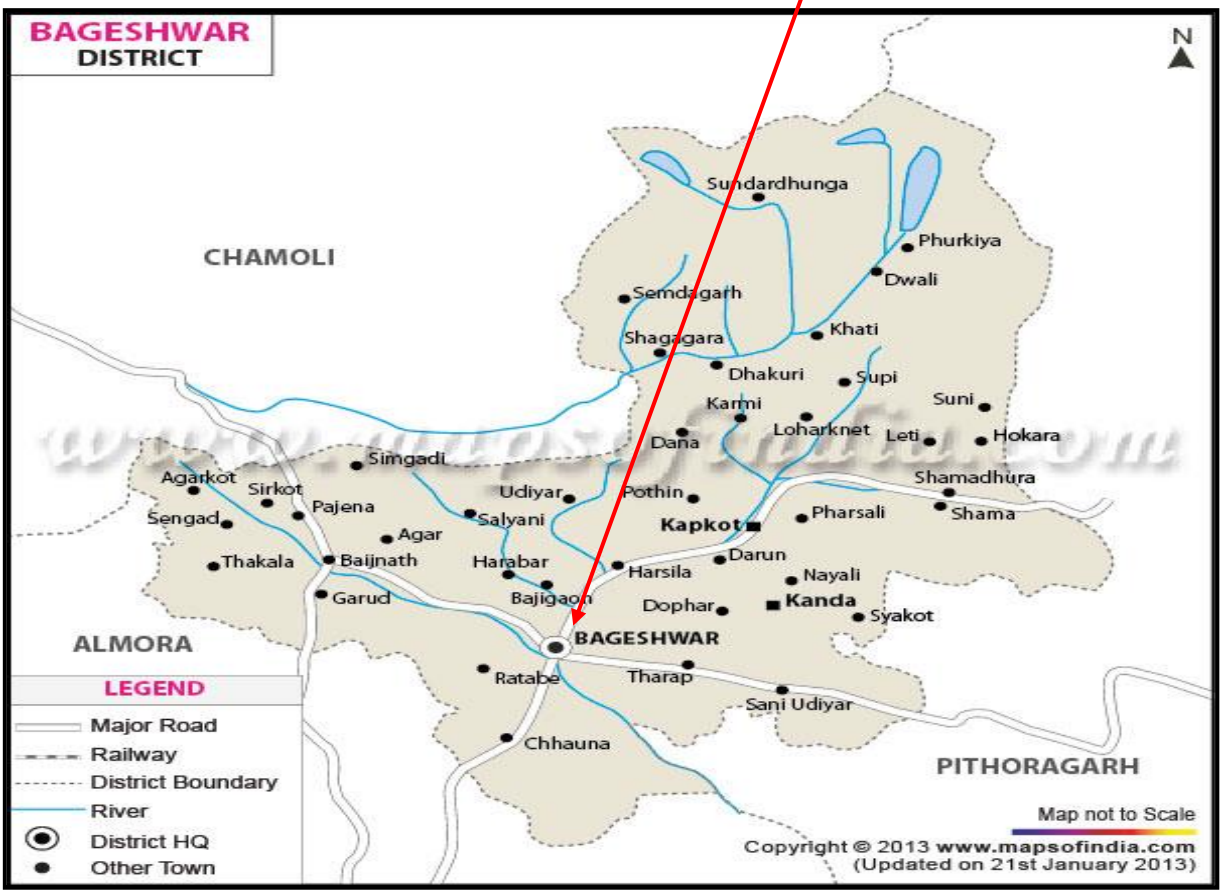
BAGESHWAR
DISTRICT
CHAMOLI
ALMORA
PITHORAGARH
Sundardhunga
Phurkiya
Dwali
Semdagarh
Khati
Shagagara
Dhakuri
Supi
Karmi
Suni
Dana
Loharknet
Leti
Hokara
Simgadi
Shamadhura
Agarkot
Sirkot
Pajena
Udiyar
Pothin
Pharsali
Shama
Sengad
Salyani
Kapkot
Agar
Thakala
Baijnath
Harabar
Darun
Harsila
Nayali
Garud
Bajigaon
Dophar
Kanda
Syakot
BAGESHWAR
Ratabe
Tharap
Sani Udiyar
Chhauna
LEGEND
Major Road
Railway
District Boundary
River
District HQ
Other Town
Map not to Scale
Copyright © 2013 www.mapsofindia.com
(Updated on 21st January 2013)

परियोजना स्थल

1.4 भूमि उपयोग पर प्रभाव, खनन किए गए क्षेत्रो का सुधार और वनरोपण कार्यक्रमः–

खनन किए गए क्षेंत्रो के भूमि उपयोग और सुधार पर प्रभाव

ओपनकास्ट खनन गतिविधियां पटटा क्षेत्र के परिदश्य को बदल सकती है, और आसपास के क्षेत्रो की सतह की विशेषताओ में कुछ गडबडी भी पैदा कर सकती है, 7.5 मीटर सेफटी बैरियर छोडकर खनन किया जाएगा जहॉ भी सम्भव होगा, जिला प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण के परामर्श से वृक्षारोपण का विकास किया जाएगा।

मौजूदा भूमि उपयोग पैटर्न कृषि भूमि के स्वरुप या भू–आकृति पर प्रभाव पहाडी भू–भागा पर भूमि के उपयोग से खुले खनन के कारण आमूल–चल परिवर्तन से गुजरेगा। अगले पांच वर्षो के दौरान खनन और सम्बद्व गतिविधियो के कारण 2.02 भूमि का क्षरण होगा।

1.5 भूमि सुधार का प्रस्ताव खनन गतिविधियो से प्रभवितः–

खनन उच्च स्तरो से शुरु होगा और निचले स्तरो की और बढेगा। रुक–रुक कर बैकफिलिंग उच्च स्तरो सें शुरु होगी और बाद में निचली उॅचाई की और बढेगी ताकि सीढीदार कृषि क्षेत्र इस तरह से शुरु हो सके कि मूल भूमि उपयोग बहाल हो जाए यानी मानसून की शुरुआत से पहले खेती के लिए काश्तकारो को सौप दिया जाएगा। अतिंम बैच बनने के बाद अंतिम बैकफिलिंग शुरु कर दी जाएगी और गडढा इष्टम आर्थिक गहराई तक पहुॅच जाएगा। खनिज की समस्त वसूली बिक्री योग्य श्रेणी की होगी।

स्थानीय डीएफओ,कृषि के परामर्श से खनन पटटा क्षेत्र की सीमाओ के साथ 7.5 मीटर बैरियर क्षेत्र मे एमएल क्षेत्र, बैकफिल्ड और पुनः प्राप्त क्षेत्र, जल निकाय, सडको, वैन पंचायत भूमि आदि के आसपास देशी प्रजातियो को लगाकर वृक्षारोपण किया जाएगा, विभाग वर्षवार वृक्षारोपण का विवरण तालिका में दिखाया गया है।

वर्ष	पौधो की संख्या
प्रथम वर्ष	1000
द्वितिय वर्ष	1000
तृतीय वर्ष	1000
चतुर्थ वर्ष	1000
पंचम वर्ष	1000
कुल	**5000**

1.6 भूमि उपयोग पैटर्नः–
वर्तमान में पूर्व–खनन खदान पटटा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि गैर वन कृषि भूमि है।

1.7 भूमि उपयोग पैटर्न पर प्रभाव :– प्रस्तावित ओपनकास्ट खदान के परिणामस्वरुप एमएल क्षेत्र के भूमि उपयोग पैटर्न में परिरितगन होगा। खनन गतिविधियो जैसे उत्खनन, ओवरबर्डन डंपिंग, मिटटी की निकासी अदि के दौरान भूमि क्षरण की आशकां है , परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता का आकलन कार्यात्मक जरुरतो को देखते हुए किया गया है।

1.8 सामाजिक–आर्थिक पहलुओ पर प्रभावः–खदान क्षेत्र में कोई बस्ती शामिल नही है, इसलिए खनन गतिविधि में मानव बदोबस्त का कोई विस्थापन शामिल नही है, पटटा क्षेत्र के भीतर या आसपास कोई सार्वजनिक भवन,स्थान, स्मारक आदि मौजूद नही है, खनन कार्य किसी भी गांव को परेशान–स्थानांतरित नही करेगा या पुनर्वास की आवश्यमता नही होगी, इस प्रकार कोई प्रतिकूल प्रभाव प्रत्याशिक नही है।
क्षेत्र मे खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है, प्रस्तावित सोपस्टोन खदान स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करेगी और जब भी जनशक्ति की आवश्यकता होगी, स्थानीय लोगो को वरीयता दी जाएगी।

1.9 पर्यावरण प्रबंधन योजनाः–

प्रस्तावित पर्यावरणीय शमन उपाय

प्रभाव अनुमानित	सुझावात्मक उपाय
जंगली जीवो के मुक्त आवागमन/जीवनयापन मे बाधा	➢ वन जीवन की संवेदनशीलता महत्व के बारे में श्रमिको को जागरुक करने के लिए जागरुकता शिविरो का आयोजन किया जाएगा।

	➢ आरक्षित वन क्षेत्र मे मजदूरो या वहानो की आवाजाही के लिए कोई पथ या नई सडक नही बनाई जानी चाहिए,इससे वन विखंडन, अतिक्रमण और मानव–पशु मुठभेड को रोका जा सकेगा। ➢ इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अयस्क सामग्री ले जाने के लिए वाहनो की आवाजाही के दौरान उत्पन्न शोर अनुमेय शोर स्तर के भीतर हो। ➢ इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि मजदूरो दवारा पशुओ का शिकार न किया जाए। ➢ यदि जंगली जानवर कोर जोन को पार करते हुए देखे जाते है, तो उन्हे बिल्कुल भी परेशान नही किया जाएगाा। ➢ मजदूरो को भोजन, प्लास्टिक आदि को फेकने की अनुमति नही होगी, जो मुख्य स्थल के पास जानवरो को आकर्षित कर सकते ळें ➢ अयस्क सामग्री ले जाने के लिए केवल कम प्रदूषण वाले वाहन को ही अनुमति दी जाएगी, परियोजना स्थल क्षेत्र मे अनुमत सभी वाहनो को तीन माह की समाप्ति पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा। ➢ वन क्षेत्र मे हॉर्न की अनुमति नही होगी, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और निंयत्रण) नियमत्र 2000, सीपीसीबी मापदडो के अनुसार ध्वनि स्तर अनुमेय सीमा (दिन के समय में साइलेंट जोन–5 डीबी) के भीतर होगा।
वन वनस्पतियो की कटाई	➢ पेड काटने, लकडी काटने, झाडियो और जडी–बूटियो को उखाडने की अनुमति नही दी जानी चाहिए। ➢ आरक्षित वन क्षेत्र में अयस्क सामग्री की पिलिंग नही होनी चाहिए ➢ आर्थिक रुप से महत्वपूण्ज्ञ पौधो का संगृह पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

1.10 विकल्पो का विश्लेषणः– भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक (जीएसआई) दवारा किए गए भूवैज्ञनिक जांच और अन्वेषण के परिणाम के आधार पर सोपस्टोन की पहचान की गई है, खनन परियोजनाए स्थल विशिष्ट है। क्योकि ऐसे वैकल्पिक स्थलो पर विचार नही किया गया था।

खदान का संचालन खनन की ओपनकास्ट सह अर्ध–मशीनीकृत पद्वति से किया जाएगा। अयस्क की कठोर प्राकृति के कराण किसी अन्य वैकल्पिक तकनीक का उपयोग नही किया जाएगा। प्रस्तावित खदान आसपास के पर्यावरण पर खनन के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपयो का उपयोंग कर रही है।

1.11 लगत अनुमानः–

5 वर्षो के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना की लागत, कॉपरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व सीईआर और सीएसआर के लिए बजट (प्रति वर्ष) कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियो के लिए निधियो के वर्षवार आवंटन का विवरण तालिका में दिया गया है।

सी0ई0आर कार्यक्रम लागत के लिए बजट

क्र0स0	गतिविधियां	आवंटित निधि (एलोकेशन फण्ड) (लाख में)
1	हॉल रोड का रखरखाव	**0.50**
2	मोबाईल शौचालयो और सफाई सुविधाओ का रखरखाव	**0.30**
3	स्वास्थ्य और स्वच्छता गतिविधियां कचरादान और सफाई सुविधाएं	**0.40**
	कुल	**1.20**

प्रस्तावित खदान में पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु निम्न प्रकार से धनराशि का आवंटन किया गया है ।

सी0एस0आर कार्यक्रम लागत के लिए बजट

क्र0स0	गतिविधियां	आवंटित निधि (एलोकेशन फण्ड) (लाख में)
1	स्वास्थ्य शिविर	**0.50**
2	सरकारी स्कूलों में शौचालयों की मरम्मत कार्यों के लिए	**1.50**
3	गुणवान लड़कियों में किताब और कॉपी बाँटने के लिए अनुसुचित जाति व जनजाति के बच्चों के लिए।	**0.50**
4	प्रस्तावित गांव में सरकारी स्कूल की मरम्मत के लिए।	**1.0**
	कुल	**4.50**

पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु बजट

क्र0स0	उपाय	कैपिटल मूल्य (रूपये में) (प्रथम वर्ष)	रिकरिंग मूल्य (रूपये में) (बाद के सालों)
1	प्रदूषण नियंत्रण ➢ धूल निलंबन	1,00,000	1,00,000
2	प्रदूषण की निगरानी i) वायु प्रदूषण ii) जल प्रदूषण iii) मृदा प्रदूषण iv) ध्वनि प्रदूषण	1,20,000 70,000 40,000 30,000	1,00,000 70,000 40,000 30,000

3	पौधारोपण और ग्रीन बेल्ट	3,80,752	6,80,752
4	खनन क्षेत्र का उद्धार	--	10,10,518
5	व्यावसायिक स्वास्थ्य	1,20,000	60,000
कुल		**8,60,752**	**21,11,270**

1.12 जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन योजना

खनन प्रबंधन का सक्षमता प्रमाण पत्र रखने वाले एक योग्य खान प्रबंधन के प्रंबधन नियंत्रण और निर्देशन के तहत पुरा खनन कार्य किया जाएगा, इसके अलावा, खनन कर्मचारियो को अदयतन रखने के लिए समय–समय पर पुनश्चर्या पाठयक्रमो मे भेजा जाएगा।

1.13 आपदा प्रबंधन योजनाः– आपदा प्रबंधन की योजना बनाने में आपातकलीन तैयारी एक महत्वपूर्ण पहलू है, कर्मियो को उपयुक्त रुप से प्रशिक्षित किया जाएगा और सावधानीपूर्वक नियोजित, नकली प्रकियाओ के माध्यम से आपातकालीन प्रतिक्रिया मे मानसिक और शरीरिक रुप से तैयार किया जाएगा, इसी तरह, प्रमुख कर्मियो और आवश्यक कर्मियो को संचालन मे प्रशिक्षित किया जाएगा।

1.14 सार्वजनिक परामर्शः–

जन सुनवाईः– 14 सितम्बर 2006 की ईआईए अधिसूचना के अनुरुप, जन सुनवाई से संबंधित धारा 1 (ए) के तहत, ईआईए ईएमपी रिपोर्ट का मसौदा जन सुनवाई के लिए उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूईपीसीबी) को प्रस्तुत किया जाएगा।

1.15 परियोजना लाभः– खनन गतिविधियो के शुरु होने के बाद नागरिक सुविधओ पर काफी प्रभाव पडेगा, खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रुप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, यह चिकित्सा सुविधाएं आपात सिथित मे आसपास के स्थानीय लोगो को भी उपलब्ध होगी।

- रोजगार कर सृजन और जीवन स्तर में सुधार
- रॉयल्टी, करो और शुल्को के माध्यम से राज्य को राजस्व में वृद्वि होगी।
- सुपीरिसर संचार और परिवहन सुविधाएं आदि

परियोजना के प्राथमिक और दवितीयक क्षेत्रो में स्थानीस लोगो के रोजगार से क्षेत्र की समृद्वि में वृद्वि होगी।

1.16 निष्कर्षः–

- खनन कार्य पर्यावरण एंव वन मंत्रालय की अनुपालन आवश्यकताओ को पूरा करेगे।
- समुदायिक प्रभाव लाभकारी होगे, क्योकि परियोजना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी।
- अधिक पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया के साथ सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौदयोगिकी और सर्वोत्तम प्रंबधन प्रथाओ को अपनाना।
- खनन गतिविधियो के दौरान पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव कके बिना आगे बढ सकती है।

****
****
******